प्रांतीय शासन

डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव के अनुसार,"शेरशाह के समय एक तो हिन्दू राजाओ के राज्य थे जिन्होनें शेरशाह के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। उन्हें अपने राज्य का शासन करने क लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया था। इनके अतिरिक्त ऐसे सूबे थे जिन्हें 'अक्ता' कहा जाता था, जिनमें फौजी गवर्नरों या सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। लाहौर, मालवा, अजमेर में सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी।" बंगाल के सूबे में शेरशाह ने सूबे को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी की देखभाल में रखा। इन सैनिक अधिकारियों की देखरेख हेतु एक असैनिक अधिकारी 'अमीर-ए-बंगाल' नियुक्त किया। यह प्रबंध संभवतः विद्रोह की संभावना को समाप्त करने के लिये किया गया होगा। पंजाब व मुल्तान में उप-प्रांतपतियों की नियुक्ति भी इसी उद्देश्य से की गई। उल्लेखनीय है कि शेरशाह के समय सूबों अथवा अक्ता के शासन व विभिन्न अधिकार एक समान नही थे।

सरकारें

प्रत्येक अक्ता या सूबा सरकारों (जिलों) में बंटा होता था। इसके दो प्रमुख अधिकारी "शिकदार-ए-शिकदारा" और "मुन्सिफ-ए-मुन्सिफा" होते थे। शिकदार सैनिक अधिकारी था। इसका कार्य शांति कायम रखना था। मुन्सिफ मुख्यतः न्याय अधिकारी था। इनके अधीन अन्य छोटे अधिकारी थे।

परगना

सरकार कई परगनों में विभाजित थी। प्रत्येक फरगने में एक शिकदार होता था। इसका कार्य शांति स्थापित रखना था। मुन्सिफ दीवानी मुकदमें और भूमि व लगान व्यवस्था देखता था। फोतदार फरगने का खजांची था। इसके अतिरिक्त दो कारकून भी होते थे।

गांव

गांव शासन की स्वंय एक इकाई थे। यहां मुखिया, चौधरी और पटवारी होते थे। गांव की अपनी पंचायत होती थी जो गांव की सफाई, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था करती थी।

न्याय व्यवस्था

शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था प्रशंसनीय थी। न्याय हो व जनता को न्याय मिले, इसमें गहरी आस्था थी। न्याय के सिहांसन पर बैठने के उपरांत शेरशाह के लिए गरीब-अमीर, ऊंच-नीच, मित्र दुश्मन सब एक बराबर होते थे। अपने पुत्र तक को उसने दंडित किया था। शेरशाह की कठोर दंड व्यवस्था के कारण उसके राज्य में अपराध बहुत कम होते थे।

पुलिस व्यवस्था

जनता की रक्षा करने के लिए पुलिस का कार्य सैनिक अधिकारी ही करते थे। प्रत्येक सरकार में शिकदार का यह कर्तव्य था कि वह जनता की रक्षा की व्यवस्था करे। गांवो में इस कार्य का उत्तरादायित्व मुकद्दम का होता था। यदि इन अधिकारियों को डाकुओं व चोर को पकड़ने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी तो वह उन्हें उपलब्ध करा दी जाती थी। इससे जनता में सुरक्षा की भावना थी।

सैन्य व्यवस्था

शेरशाह ने शक्तिशाली एंव विशाल सेना रखने की आवश्यकता महसूस की इसलिए सैन्य व्यवस्था के लिए शेरशाह ने न केवल एक विशाल सेना का निर्माण किया वरन् उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पुनर्जीवित किया तथा सेना को संठित कर एक शाही व्यवस्था बना दिया। बादशाह स्वंय

सेनापति होता था तथा सेना का वेतन चुकाता था। शेरशाह सेना को प्रबंध कार्यो में नही लगता था। शेरशाह ने अपनी सेना को साम्राज्य के विभिन्न भागों में आवश्यकतानुसार विभाजित कर रखा था। इस प्रकार की कुल 16 छावनियों के विषय में जानकारी मिलती है।

गुप्तचर व्यवस्था

शेरशाह ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी जो अत्यंत उच्चकोटि की थी। यह समय राजनीतिक उथल-पुथल का होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक था। इस विभाग का अध्यक्ष 'डाक-ए-दारोगा' कहलाता था।